उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 2151 /VII-3-19/04(01)–एम.एस.एम.ई/2018
देहरादूनः दिनांक 02 नवम्बर, 2019
दिसम्बर

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1958/सात–2–18/04(01)–एम.एस.एम.ई/2018 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 से प्राख्यापित **उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति, 2018** में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुवों के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय **उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति क्रियान्वयन आदेश, 2019** प्राख्यापित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा वैधता अवधिः

(a) यह दिशा निर्देश/आदेश **उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति क्रियान्वयन आदेश–2019 कहे जायेंगे।**

(b) इस आदेश के अन्तर्गत **उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति– 2018** में परिभाषित सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहत, लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा क्षेत्र के सभी उद्यम/परियोजनायें सम्मिलित हैं।

(c) यह आदेश राज्य की मेगा औद्योगिक और निवेश नीति–2015, वृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 तथा एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के क्रियान्वयन हेतु जारी क्रियान्वयन आदेश/परिचालन दिशा–निर्देशों की पूरक है।

(d) इस आदेश के अन्तर्गत सभी पात्र इकाईयां एम0एस0एम0ई0 नीति–2015, वृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 तथा मेगा औद्योगिक और निवेश नीति–2015 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए अर्हता के आधार पर दावा कर सकती हैं, यदि इस नीति में समान/समरूप शीर्ष/मद के अधीन कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।

(e) नीति के क्रियान्वयन हेतु यह आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

(2) योजना का क्षेत्रः यह आदेश, नीति के अन्तर्गत प्रदत्त सभी वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में समान रूप से लागू रहेंगे।

(3) परिभाषायें: इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, बृहत उद्योग (श्रेणी–1), लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा परियोजना तथा इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी

घटक, ईवी बैटरी, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की परिभाषायें निम्नलिखित प्रकार से हैं:–

(a) **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)** से एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अभिप्रेत है, जो अपनी रिचार्जेबल बैटरी में संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसे आम घरेलू बिजली द्वारा रिचार्ज किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रणोदन के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है। वाहन के प्रकार के आधार पर, रोटरी मोटर्स द्वारा संचालित पहियों या प्रोपेलर्स द्वारा या गतिशील मोटरों द्वारा ट्रैक किए गए वाहनों के मामले में गति प्रदान की जा सकती है। ईवी में औद्योगिक इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, पूर्ण आकार की इलेक्ट्रिक कार, वैन, बसें और अन्य इलेक्ट्रिक यात्री वाहन भी सम्मिलित हैं। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम संख्या 2(प) में दी गयी परिभाषा के अनुसार "बैटरी संचालित वाहन" का अर्थ सड़कों पर प्रयोग किये जाने के लिए अनुकूलित और अनन्य रूप से एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित वाहन से है, जिसकी संकर्षण ऊर्जा की आपूर्ति केवल वाहनों में लगायी गयी संकर्षण बैटरी से होती है।

(b) **ईवी घटक** से ईवी प्रमुख के मोटर नियंत्रक, विद्युत इंजन (मोटर), पुर्नउत्पादक ब्रेकिंग, ड्राइव सिस्टम और संबंधित घटक/असेंबलीज, अभिप्रेत हैं।

(c) **इलेक्ट्रिक–वाहन बैटरी (ईवीबी)** या संकर्षण बैटरी से ऐसी बैटरी अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रणोदन को शक्ति देने के लिए उपयोग की जाती है। वाहन बैटरी आमतौर पर एक द्वितीयक (रिचार्जेबल) बैटरी होती है। इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन 'एडवांस बैटरी' से न्यू जनरेशन लेड रहित बैटरी, जैसेः लिथियम पॉलिमर, लिथियम आयरन फॉस्फेट, निकल मेटल हाइब्रिड, जिंक एयर, सोडियम एयर, निकेल जिंक, लिथियम एयर इत्यादि, अभिप्रेत है।

(d) **इलेक्ट्रिक वाहन और इसकी घटक विनिर्माण इकाई (ईवीएमयू)** में इलेक्ट्रिक वाहन व उनके घटक, जैसेः मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक किट इत्यादि के निर्माण/असेंबलिंग में शामिल सभी विनिर्माण उद्यम सम्मिलित है।

(e) **ईवी बैटरी विनिर्माण (ईबीयू)** में सभी ईवी बैटरी विनिर्माण या असेंबलिंग इकाइयां सम्मिलित हैं।

(f) **ईवी बैटरी घटक** से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी पैक डिज़ाइन, जो कई यांत्रिक और विद्युत घटक प्रणालियों के संयोजन को सम्मिलित करते हैं तथा जो पैक के मूल आवश्यक कार्यों को निष्पादित करते हैं, अभिप्रेत है, बैटरी पैक में कुल वोल्टेज और विद्युत धारा प्राप्त

करने के लिए कई अलग–अलग सेल श्रेणी व समानांतर क्रम में संयोजित होते है। एक बैटरी में मॉड्यूल नामक छोटे स्टैक्स होते हैं, जिन्हें एक ही पैक में रखा जाता है। मॉड्यूल में शीतलन तंत्र, तापमान मॉनीटर, अन्य डिवाइस और बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) भी सम्मिलित है।

(g) **ईवी चार्जिंग स्टेशन,** जिसे ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट, चार्ज पॉइंट और ईवीएसई (इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई उपकरण) भी कहा जाता है, एक बुनियादी ढांचे का एक तत्व अभिप्रेत है, जो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति व बिजली के वाहनों की रिचार्जिंग करता है। चार्जिंग स्टेशन उपकरण में केवल फास्ट चार्जिंग स्टेशनों से संबंधित चार्जिंग पोस्ट, कैबिनेट चार्जिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण आदि के साथ एकीकृत स्वचालित स्वचालित चार्जिंग स्टेशन सम्मिलित है।

(h) **ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर** में निम्नलिखित चार प्रकार की चार्जिंग सुविधायें सम्मिलित हैं, अर्थात्:

(i) घरेलू उपयोगकर्ता सुविधा (व्यक्तिगत)।

(ii) सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा (सरकारी सुविधाएं, बस डिपो, रेलवे स्टेशन इत्यादि)।

(iii) सामान्य चार्जिंग सुविधा (मॉल, आवासीय भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि)।

(iv) वाणिज्यिक चार्जिंग सुविधा (सड़क के किनारे, ईंधन स्टेशन आदि)।

(i) **विनिर्माणक उद्यम** से आशय उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले उद्यम से है।

(j) **सेवा उद्यम** से आशय गतिशील सेवा प्रदान करने वाली इकाईयां/स्लो चार्जिंग स्टेशन और/या बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इत्यादि अभिप्रेत है, इसमें ईवी और बैटरी की मरम्मत और रखरखाव के स्टेशन भी सम्मिलित हैं।

(k) **सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईवी उद्यम** से आशय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं. 27 वर्ष 2006) के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा में आने वाले ईवी उद्यमों से अभिप्रेत है।

(l) **बृहद (श्रेणी–1) ईवी उद्यम** से आशय ऐसे ईवी उद्यम से अभिप्रेत है, जहां विनिर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में संयंत्र और मशीनरी पर निवेश

रू. 10 करोड़ से रू. 50 करोड़ तक हो और सेवा प्रदाता गतिविधियों के सम्बन्ध में उपस्कर (equipment) में पूंजी निवेश रू. 5 करोड़ से रू. 50 करोड़ तक हो।

(m) **लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा उद्यम/परियोजनाओं** से आशय मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015 में परिभाषित लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा उद्यम /परियोजना अभिप्रेत हैं।

(n) **अचल परिसम्पत्तियों** से आशय भूमि, भवन, प्लांट व मशीनरी तथा अन्य ऐसे उपकरण जो सीधे उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जैसे टूल्स, जिक्स, डाईज, मोल्ड्स, यूटिलिटीज एवं अन्य हैण्डलिंग उपकरण अभिप्रेत हैं।

(o) **वाणिज्कि उत्पादन** प्रारम्भ करने के दिनांक से आशय–

(i) किसी नई इकाई की स्थापना के पश्चात ऐसी तारीख जिसमें इकाई द्वारा स्वनिर्मित उत्पाद की प्रथम बिक्री का देयक जारी किया गया हो; अथवा

(ii) किसी विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के पश्चात ऐसी तारीख जिस पर विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद स्वनिर्मित उत्पाद के प्रथम बिक्री का देयक जारी किया गया हो, अभिप्रेत है;

(p) **(i)** **माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)** से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या–6 वर्ष 2017) की धारा–9 के अधीन उद्ग्रहीत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(ii) कुल शुद्ध एस0जी0एस0टी0 कर देयता से, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (B2C) को विक्रय किया गया हो, में से इनपुट टैक्स समायोजन के पश्चात प्रभार्य राज्य माल एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0), अभिप्रेत है;

(q) **सक्षम प्राधिकारी** से क्रियान्वयन विभाग/अभिकरण के अधिकारी अथवा प्रतिनिधि, जिन्हें नीति के क्रियान्वयन के लिए इन दिशा–निर्देशों के अधीन विशिष्ट प्राधिकार सौंपे गये हैं, अभिप्रेरित है;

(r) **संवितरण अभिकरण** से आशय उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (संक्षिप्त में सिडकुल) अथवा उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड/जिला उद्योग केन्द्र या ऐसे अन्य अभिकरण/विभाग जिन्हें समय–समय पर इस हेतु पदाविहित किया जाय, अभिप्रेत है। यह अभिकरण अर्ह इकाईयों का लाभ/प्रोत्साहन/रियायत संवितरित/प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे और इकाईयों को समयान्तर्गत संवितरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार से अपेक्षित निधि की मांग/व्यवस्था के लिए

आवश्यक कदम उठाने हेतु मांग कर सकेंगे।

(s) **विद्युत अधिभार** से उत्तराखण्ड विद्युत (अधिभार) अधिनियम (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 के अधीन देय विद्युत अधिभार/उपकर अभिप्रेत है;

(t) **नोडल अभिकरण:** उद्योग निदेशालय में राज्य उद्योग मित्र अथवा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा सिडकुल सभी आवेदन पत्रों को प्राप्त करने और आवेदनों तथा दावों की समुचित व समयबद्ध रूप से परीक्षण, संवीक्षा समिति की संवीक्षा हेतु दावों के अग्रसारण, जिला/राज्य स्तरीय समिति/राज्य प्राधिकृत समिति से दावों की स्वीकृति एवं स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे।

(u) **संवीक्षा समिति** से मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति–2015 के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशानिर्देशों के अधीन प्राप्त आवेदनों और दावों की सवींक्षा के लिए गठित समिति, अभिप्रेत है;

(4) वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान सहायता:

(a) **ब्याज उपादान:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर देय ब्याज में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स, रू. 10 करोड़ से रू. 50 करोड़ के बृहद उद्यमों तथा रू. 50 करोड़ से अधिक के लार्ज, मेगा व अल्ट्रा मेगा उद्यमों को निम्नानुसार अनुमन्य होगा:

i. **एम0एस0एम0ई0 इकाईयां:**

श्रेणी–ए	श्रेणी–बी व बी+	श्रेणी–सी	श्रेणी–डी
10 प्रतिशत अधिकतम रू. 8 लाख प्रतिवर्ष।	8 प्रतिशत अधिकतम रू. 6 लाख प्रतिवर्ष।	6 प्रतिशत अधिकतम रू. 4 लाख प्रतिवर्ष।	5 प्रतिशत अधिकतम रू. 3 लाख प्रतिवर्ष।

ii. **बृहत उद्योग (श्रेणी–1):**

सम्पूर्ण प्रदेश में 5 प्रतिशत अधिकतम रू. 3 लाख प्रतिवर्ष।

iii. **लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनायें:**

लार्ज प्रोजेक्ट्स	मेगा प्रोजेक्ट्स	अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स
7 प्रतिशत अधिकतम रू. 25 लाख प्रतिवर्ष।	7 प्रतिशत अधिकतम रू. 35 लाख प्रतिवर्ष।	7 प्रतिशत अधिकतम रू. 50 लाख प्रतिवर्ष।

(b) **विद्युत शुल्क (Electricity Duty) की प्रतिपूर्तिः** वाणिज्कि उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 5 वर्ष तक के लिए विद्युत बिलों में देय इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(c) **स्टाम्प शुल्क प्रभार से छूटः** एम0एस0एम0ई0 नीति–2015, मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 तथा वृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति– 2018 के उपबन्धों के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार में निम्नानुसार छूट/प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध होगीः–

i. **एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की इकाईयांः**

क्र.सं.	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	शत प्रतिशत
2	श्रेणी–बी व श्रेणी–बी+	शत प्रतिशत
3	श्रेणी–सी	शत प्रतिशत
4	श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

ii. **बृहत उद्योग (श्रेणी–1):** उद्यम की स्थापना/विस्तार के लिए क्रय /लीज पर ली गयी भूमि के क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निष्पादन में स्टाम्प शुल्क प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट।

iii. **लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनायेंः** भूमि क्रय/पट्टा विलेख के निष्पादन में स्टाम्प अधिभार के भुगतान पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति।

(d) **ईपीएफ प्रतिपूर्तिः** ईवी क्षेत्र में ऐसी सभी नई इकाइयां, जिन्होने 100 या उससे अधिक कुशल/अकुशल कर्मकरों को सीधे सेवायोजित किया है, को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक, कर्मकरों के ईपीएफ अभिदान की 50 प्रतिशत धनराशि, अधिकतम रू. 2 करोड़ प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में दी जायेगी।

(e) **एसजीएसटी प्रतिपूर्तिः** उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से B2C को विक्रय किये गये तैयार माल पर 5 वर्ष तक इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध देय एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जायेगीः

i.) **एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की इकाईयांः** स्वनिर्मित उत्पाद की सीधे बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध देय एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत।

ii.) **रू. 10 करोड़ से रू. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश के बृहत उद्योग (श्रेणी–1):** स्वनिर्मित उत्पाद की सीधे बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध देय एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत।

ii.) **लार्ज प्रोजेक्ट्सः** स्वनिर्मित उत्पाद की सीधे बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध देय एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत।

iii.) **मेगा तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्सः** स्वनिर्मित उत्पाद की सीधे बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध देय एस0जी0एस0टी0 का 50 प्रतिशत।

(f) **सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की लागत में छूटः**

i. **मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015** के उपबन्धों के अनुसार सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन पर सिडकुल द्वारा निर्धारित भूमि की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नानुसार विशेष छूट प्रदान की जायेगी–

लार्ज प्रोजेक्ट्स– भूमि की वर्तमान प्रचलित दर पर 15 प्रतिशत की छूट।

मेगा प्रोजेक्ट्स– भूमि की वर्तमान प्रचलित दर पर 25 प्रतिशत की छूट।

अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– भूमि की वर्तमान प्रचलित दर पर 30 प्रतिशत की छूट।

ii. **उत्तराखण्ड बृहत (श्रेणी–1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति –2018** के उपबन्धों के अनुसार सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि का 50 प्रतिशत प्रीमियम, भूमि के आवंटन पर ही देय होगा और शेष राशि अगले 2 वर्षों में दो समान किश्तों में ब्याज के साथ देय होगी। यदि भूमि आवंटन पर शत प्रतिशत भुगतान किया जाता है, तो भूमि के प्रीमियम की गणना में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(g) **ई0टी0पी0 संयंत्र की स्थापना पर उपादानः** ई.टी.पी. संयंत्र की स्थापना में किये गये कुल पूंजीगत व्यय का 50 प्रतिशत धनराशि प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में निम्नानुसार प्रदान की जायेगीः–

i. **बृहत उद्योग (श्रेणी–1)–** ई0टी0पी0 संयंत्र की स्थापना में किये गये पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 20 लाख।

ii. **लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स–** ई0टी0पी0 संयंत्र की स्थापना में किये गये पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 लाख।

(h) **कौशल विकास हेतु उपादान सहायताः** ईवी/एचईवी कॉम्पोनेंट विनिर्माणक तथा बैटरी मरम्मत /रखरखाव आदि की कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इकाइयों को, 50 प्रशिक्षार्थियों के लिए 6 माह तक प्रतिमाह रू. 1000 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से प्रशिक्षण प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी। ऐसी इकाइयों को उत्तराखंड कौशल विकास मिशन तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पी0आई0ए0 के रूप में सूचीबद्ध और उत्तराखण्ड कौशल विकास से अनुमोदित पाठयक्रमों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

(i) **विभागीय नीतियों के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन (Electrical Vehicle) सेवा उद्यमों को प्रोत्साहन सहायताः** इस नीति के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 तथा बृहत उद्योग (श्रेणी–1) रू. 10 करोड़ से रू. 50 करोड़ पूंजी निवेश के सेवा उद्यमों, यथाः ई0वी0 बैटरी चार्जिंग/सम्बन्धित अवसंरचनात्मक सेवा उद्यमों को उक्त नीतियों में सेवा उद्यमों को प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज उपादान तथा स्टाम्प शुल्क में छूट /प्रतिपूर्ति की सुविधा अर्हता के आधार पर विभागीय नीतियों में निर्धारित अनुमन्यता की सीमा/मात्रा में उपलब्ध होंगी।

(j) **ईवी गतिशीलीता प्रोत्साहनः** राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रेरित करने तथा बाजार के सृजन के लिए, उत्तराखण्ड सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहनों का विस्तार करेगीः–

i) **क्रेताओं को कर में छूटः** उत्तराखंड राज्य के भीतर ईवीएस के **पहले एक लाख क्रेताओं को** नीति के प्रभावी रहने के दौरान निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगीः–

(a) पांच वर्ष हेतु मोटरयान कर से शत् प्रतिशत छूट।

(b) पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष के लिए वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्टेज कैरिज परमिट शुल्क पर शत् प्रतिशत छूट।

ii) **रूट परमिटः** राज्य में विभिन्न शहरों/नगरों के अन्दर नगर बस सेवा के लिए रूट परमिट प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(k) **प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) से छूटः** इलेक्ट्रिक बसों को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–115 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र से भी छूट प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त क्रमांक **(j)** व **(k)** में उल्लिखित छूट/प्रोत्साहनों के लिए परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन अलग से दिशा–निर्देश/आदेश जारी करेगा।

(5) पात्रता

(a) ऐसे उद्यम जिन्होने सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में उद्यम की स्थापना अथवा विस्तार के लिए www.investuttarakhand.com वेबसाइट पर ऑनलाइन Common Application Form पर आवेदन कर उद्यम स्थापना हेतु राज्य/जिला प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो।

(b) एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उद्यम स्थापना कर उत्पादन प्रारम्भ करने———————के———————पश्चात https://udyogaadhaar.gov.in/UA/UAM_Registration.aspx पोर्टल पर ऑनलाइन उद्योग आधार ज्ञापन फाइल कर उद्योग आधार प्राप्त किया गया हो।

(c) बृहत उद्योगों की स्थापना का आशय रखने वाले उद्यमियों द्वारा बृहत उद्यम की स्थापना अथवा विस्तार हेतु dipp.gov.in पोर्टल पर Secretariat of Industrial Assistance Department में आई0ई0एम0 पार्ट–ए फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति (Acknowledgement) प्राप्त की गयी हो।

(d) बृहत उद्योग की स्थापना कर उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात dipp.gov.in पोर्टल पर Secretariat of Industrial Assistance Department में आई0ई0एम0 पार्ट–बी फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति (Acknowledgement) प्राप्त की गयी हो।

(e) ऐसे उद्यम की स्थापना के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य/जिला प्राधिकृत समिति से नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तारीकरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात उद्यम की स्थापना/विस्तार के लिए सभी सम्बन्धित विभागों से वांछित स्वीकृति/अनुमोदन/अनुज्ञां/अनापत्ति प्राप्त की गयी हो।

(6) वित्तीय प्रोत्साहनों/लाभों के उपबन्ध, प्रक्रियायें और संवितरण

1. **ब्याज उपादानः** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, बृहत उद्योग (श्रेणी–1) तथा लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित– 2016, 2018 व 2019)/ उत्तराखण्ड बृहत (श्रेणी–1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018/ मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 (यथासंशोधित– 2016 व 2018) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा/मात्रा में इन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु जारी क्रियान्वयन आदेश/प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश के अनुसार प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी।

1.1 **ब्याज उपादान** केवल वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से लिये गये सावधि ऋण पर अधिरोपित ब्याज के लिए उपलब्ध होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अथवा अन्य अधिभार की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

1.2 **ब्याज उपादान** की अवधि प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से प्रभाव में आने की तारीख से अनुज्ञेय अवधि तक गणना में ली जायेगी।

1.3 **ब्याज उपादान** ऐसी इकाईयों को दिया जायेगा, जिन्होनें नियमित रूप से वित्तीय संस्थाओं/बैंक को किश्त और ब्याज का भुगतान किया हो।

1.4 **ब्याज उपादान के दावे हेतु प्रक्रिया:**

1.4.1 **ब्याज उपादान** उपभोग करने की इच्छुक पात्र इकाईयां को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान के दावे हेतु विहित प्रारूप में प्रचलनात्मक दिशा–निर्देशों के अनुसार अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। ब्याज उपादान की स्वीकृति/संवितरण हेतु वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था का इस आशय का प्रमाण पत्र कि इकाई द्वारा नियमित रूप से मूलधन/ब्याज का पुर्नभुगतान कर दिया गया है। उक्त आदेश के क्रमांक–(4) पर **वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान सहायता** शीर्ष के उल्लिखित नीतियों में प्रदत्त ब्याज उपादान/प्रतिपूर्ति सहायता हेतु इन नीतियों के क्रियान्वयन आदेश/प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश के अनुसार दावे का प्रथम आवेदन पत्र उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात विहित समय–सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात दावे त्रैमासिक आधार पर निश्चित समय–सीमा के अन्दर प्रस्तुत किये जायेंगे। दावे के साथ बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत/संवितरित सावधि ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, संवितरण की तिथि से संवितरित धनराशि पर अधिरोपित ब्याज के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

2. विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति

पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख के पश्चात 5 वर्ष तक विद्युत बिलों में देय विद्युत शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.1 भुगतानित विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल विनिर्माण/उत्पादन अथवा उससे सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए औद्योगिक इकाईयों द्वारा दिये गये एकल विद्युत संयोजनों पर लागू होगी।

2.2 विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु इच्छुक पात्र इकाईयां विहित प्रारूप पर नोडल अभिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे

2.3 विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, आवेदनों की जांच/संवीक्षा, स्वीकृति एवं संवितरण की प्रक्रिया, जैसा कि एम0एस0एम0ई0

नीति–2015/मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 के क्रियान्वयन आदेश/परिचालन दिशा–निर्देशों में विहित की गयी है, लागू होगी।

3. स्टाम्प शुल्क प्रभार से छूट/प्रतिपूर्ति

3.1 स्टाम्प शुल्क से आशय भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भूमि लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निबन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से है।

3.2 **स्टाम्प शुल्क छूट /प्रतिपूर्ति सहायता की सीमा/मात्राः** पात्र इकाईयों को भमि लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख /विक्रय विलेख के निबन्धन में देय स्टाम्प शुल्क अधिभार का शत प्रतिशत छूट अथवा 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता, जैसा कि एम0एस0एम0ई0 नीति–2015, उत्तराखण्ड बृहत (श्रेणी–1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 तथा मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 में विहित किया गया है।

3.3 **स्टाम्प अधिभार छूट के लिए प्रक्रियाः** उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–9 की अधिसूचना/आदेश संख्या 205/XXVII(9) /यू0ओ0–05/स्टाम्प/2015 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के अनुसार एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यमों को भूमि लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में सीधे छूट प्रदान की जायेगी। बृहत उद्योग (श्रेणी–1), लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को इस योजना के तहत विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण अथवा नई इकाई के स्थापना के लिए विहित आवेदन पत्र के प्रारूप में "स्टाम्प अधिभार के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु अपना प्रतिपूर्ति दावा नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करना होगा। दावे के साथ आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि में भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क अधिभार की रसीद/प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सहित· प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.4 आवेदन पत्र एकल खिड़की व्यवस्था के लिए नामित राज्य नोडल अधिकारी को ऑनलाईन प्रस्तुत करने के साथ–साथ ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के एक सप्ताह के भीतर आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन प्रतियों में सभी संलग्न अभिलेखों के साथ अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षरोपरांत भी राज्य नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है

अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। नोडल अभिकरण द्वारा आवेदन पत्र की प्रारम्भिक जांच कर आवेदन पत्र संवीक्षा हेतु सवींक्षा समिति को भेजा जायेगा। संवीक्षा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

3.5 जहां यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

3.6 **स्वीकृत स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति हेतु प्रकिया:** राज्य प्राधिकृत समिति से स्वीकृति मिलने के उपरान्त राज्य नोडल अभिकरण से स्वीकृति की सूचना जारी होने पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित किये जायेंगे और बजट उपलब्धता के आधार पर "प्रथम आवत प्रथम पावत" (First Come First Serve) त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक और आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे इकाई के बैंक खाते में भुगतान की जायेगी।

4. ई0पी0एफ0 की प्रतिपूर्ति

4.1 ईवी क्षेत्र की ऐसी नयी इकाईयां, जिन्होंने 100 या उससे अधिक कुशल/अकुशल कर्मकरों को सीधे सेवायोजित किया है, को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 10 वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा दिये गये अभिदान का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी।

4.2 ईपीएफ अभिदान की प्रतिपूर्ति के लिए विहित आवेदन पत्र के प्रारूप में ईपीएफ की प्रतिपूर्ति का दावा नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करना होगा। दावे के साथ भुगतानित ईपीएफ अभिदान के साक्ष्य में कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत सीधे सेवायोजित कर्मकरों, प्रत्येक कर्मकर की वेतन पर्ची, ईपीएफ में दिये गये अभिदान की धनराशि का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ईपीएफ का प्रथम दावा उत्पादन प्रारम्भ करने के 6 माह के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तत्पश्चात त्रैमासिक रूप से अगले त्रैमास का दावा नियमित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

4.3 आवेदन पत्र एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नामित जिला/राज्य नोडल अधिकारी को ऑनलाईन प्रस्तुत करने के साथ-साथ ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के एक सप्ताह के भीतर आवेदन पत्र की मुद्रिक दो प्रतियों

में सभी संलग्न अभिलेखों के साथ अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षरोपरांत भी जिला/राज्य नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये है अथवा नही तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। नोडल अभिकरण द्वारा आवेदन पत्र की प्रारम्भिक जांच कर आवेदन पत्र संवीक्षा हेतु सवींक्षा समिति अथवा संवीक्षा अधिकारी को भेजा जायेगा। संवीक्षा अधिकारी/संवीक्षा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर दावे को विचार/निर्णय के लिए जिला/राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को संबंधित इकाई को वापस करने के कारणों सहित इकाई को वापस कर दिये जायंगे।

4.4 जहां यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब जिला/राज्य प्राधिकृत समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

5. एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति

5.1 **संक्षिप्त नामः** यह दिशा निर्देश उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग --कार्यालय ज्ञाप संख्या 895/VII-2.18 /123–उद्योग/2008 दिनांक 11 मई, 2018 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं तथा इन दिशा निर्देशों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति योजना–2019 होगा।

5.2 **उद्देश्यः** इस योजना का उद्देश्य विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 (यथासंशोधित 2011) में वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथासंशोधित– 2016, 2018 व 2019) के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी–ए, बी एवं बी+ में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यमों को, बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाये रखते हुए, इकाई के उत्पाद में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना है, जिससे वर्गीकृत क्षेत्र में स्थापित होने वाली उक्त इकाईयों को उत्पाद की बिक्री में सहायता मिल सके तथा उक्त इकाईयां सतत् रूप से क्रियाशील रह सके।

5.3 **योजना अवधिः** यह योजना एम0एस0एम0ई0 नीति, 2015 के जारी होने के दिनांक 31 जनवरी, 2015 से 31 मार्च, 2023 तक अथवा शासन के

कोई अन्यथा आदेश पारित करने की दशा में वर्णित दिनांक तक स्थापित औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक अथवा दिनांक 31 मार्च, 2020 के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उद्यमों के लिए अधिकतम पांच वर्ष, जो भी पहले घटित हो।

5.4 परिभाषायें:

5.4.1 **राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0)** से "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" (अधिनियम संख्या–6, वर्ष 2017) की धारा–9 के अधीन उदग्रहीत राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) अभिप्रेत है।

5.4.2 नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन में या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोगिता रखता हो, के मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया में लगे हुए हों या संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में, जैसे:–

(एक) एक **सूक्ष्म उद्यम,** जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

(दो) एक **लघु उद्यम,** जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या

(तीन) एक **मध्यम उद्यम,** जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपये से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपये से अधिक न हो।

5.5 **स्वीकार्य राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.):** पात्र औद्योगिक इकाईयों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की बिक्री पर दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए भुगतान किये गये माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिये गये, ऐसे एस0जी0एस0टी0 भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (Business to Consumer) को विक्रय से सम्बन्धित हो:–

i. रू. 10 करोड़ से रू. 50 करोड़ के बृहत उद्यम तथा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उद्यम– स्वनिर्मित उत्पाद की सीधे बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात

कुल शुद्ध देय एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत।

ii. लार्ज प्रोजेक्ट्स– स्वनिर्मित उत्पाद की सीधे बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध देय एस0जी0एस0टी0 का 30 प्रतिशत।

iii. मेगा तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– स्वनिर्मित उत्पाद की सीधे बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध देय एस0जी0एस0टी0 का 50 प्रतिशत।

स्पष्टीकरणः–

उपभोक्ता से आशय अपंजीकृत कोई उपभोक्ता, अपंजीकृत व्यापारी, अपंजीकृत सरकारी विभाग तथा ऐसे सरकारी विभाग, जो जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मात्र टी0डी0एस0 के कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं, अभिप्रेत है।

5.6 पात्रताः राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगाः–

(1) इकाई उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति, 2018 में चिन्हित विनिर्माणक/सेवा उद्यम की श्रेणी में आती हो।

(2) इकाई की स्थापना हेतु एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत www.investuttarakhand.com पोर्टल पर ऑनलाइन Common Application Form फाइल कर जिला/राज्य प्राधिकृत समिति से उद्यम स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो। ऐसे उद्योग की स्थापना के पश्चात उद्यमी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाइल कर **उद्योग आधार** प्राप्त किया गया हो या उद्योग संवर्द्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग, औद्योगिक सहायता सचिवालय में आई0ई0एम0 पार्ट–बी दाखिल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो।

(3) इकाई द्वारा माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) के अधीन उत्पादित उत्पाद के विनिर्माण हेतु पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

(4) इकाई उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति, 2018 के सभी मानकों/अर्हताओं को पूर्ण करती हो।

5.7 **राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति /संवितरण की प्रक्रियाः** राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बन्धित निदेशालय, 'नोडल अभिकरण' के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण, प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिए गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।

10 लाख रूपये या कम प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति जिला प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी तथा इससे अधिक की स्वीकृति हेतु राज्य प्राधिकृत समिति अधिकृत रहेगी।

5.8 **राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः** पात्र विनिर्माणक इकाईयों द्वारा सर्वप्रथम माल और सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप मासिक/त्रैमासिक विवरणी दाखिल की जायेगी तथा विवरणी के अनुसार राज्य माल और सेवा कर (SGST) अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा काई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इन दिशा निर्देशों के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) के अनतर्गत दिये गये, ऐसे एस0जी0एस0टी0 के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो। इस हेतु दावा निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केन्द्र अथवा नामित नोडल अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगाः–

(1) इकाई की स्थापना हेतु जिला प्राधिकृत समिति से CAF दाखिल कर प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार में उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) फाइल कर प्राप्त किये गये **उद्योग आधार** की प्रति अथवा उद्योग संवर्द्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग, औद्योगिक सहायता सचिवालय में दाखिल आई0ई0एम0 पार्ट–बी की अभिस्वीकृति की प्रति।

(2) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(3) इकाई द्वारा निर्धारित माल और सेवा कर भुगतान की, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रमाणित प्रति अथवा ऑनलाइन

भुगतान की प्रति, जिसमें यह स्पष्ट हो कि भुगतान राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के हित में किये गया हो।

(4) इकाई के मासिक/त्रैमासिक रिटर्न (Return) की राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापित प्रति।

(5) इकाई के वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की सत्यापित प्रति, प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर।

(6) राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा इकाई के पक्ष में जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति (प्रथम दावे के साथ)।

(7) अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र।

स्पष्टीकरणः

(एक) माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रत्येक तीन माह की समाप्ति के पश्चात अगले त्रैमास के अन्दर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा नामित नोडल अभिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे किसी भी दावे को निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने की दशा में दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में कालातीत दावों के संदर्भ में गुण–दोष के आधार पर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(दो) यद्यपि प्रतिपूर्ति सहायता दावे त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत/स्वीकृत किये जायेंगे, किन्तु प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की कर विभाग में दाखिल वार्षिक विवरणी की सत्यापित प्रति उस तीन माह के दावे के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी। इकाई का दावाकृत प्रतिपूर्ति समस्त मासिक/त्रैमासिक विवरणियों तथा वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने के उपरान्त ही देय होगी।

(तीन) सभी पात्र उद्यम एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नामित नोडल अभिकरण को ऑनलाइन अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप पर प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उद्यम का व्यापारिक नाम, पता, जी0एस0टी0आई0एन0, उत्पादित उत्पाद का नाम, एच0एस0एन0 कोड, कुल विक्रय, राज्य में बी2बी बिक्री, राज्य में बी2सी बिक्री, एस0जी0एस0टी0 तथा आई0जी0एस0टी0 के आई0टी0सी0 के समायोजन की राशि, कुल जमा किया गया एस0जी0एस0टी0, उत्तराखण्ड में उपभोक्ताओं को की गयी बिक्री पर जमा की गयी एस0जी0एस0टी0 राशि का विवरण आवेदन पत्र के साथ

प्रस्तुत करना होगा।

(चार) नामित नोडल अभिकरण ऑनलाइन प्रतिपूर्ति दावा आवेदन प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर कर विभाग के नामित नोडल अधिकारी अथवा संवीक्षा समिति को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे तथा इस आवेदन को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को भी ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के 3 दिन के अन्दर दावाकृत एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति आवेदक को अनुमन्य होने के सम्बन्ध में अपना अभिमत/आख्या नोडल अभिकरण को प्रेषित कर देंगे।

(पांच) दावाकृत प्रतिपूर्ति के अनुमन्य न होने अथवा दावा से कम राशि अनुमन्य होने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी निर्धारित समय–सीमा के अन्दर ही आवेदक को ऑनलाइन ही अपना पक्ष रखने के लिए कहेंगे। आवेदक से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने अथवा दावे से कम प्रतिपूर्ति की राशि अनुमन्य होने अथवा अनुमन्य न होने के सम्बन्ध में आवेदक तथा सम्बन्धित नोडल अभिकरण/विभाग को सूचित किया जायेगा।

6. कौशल विकास हेतु उपादान सहायता:

6.1 ईवी/एचईवी कॉम्पोनेंट विनिर्माणक तथा बैटरी मरम्मत /रखरखाव आदि की कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इकाइयों को, 50 प्रशिक्षार्थियों के लिए 6 माह तक प्रतिमाह रू. 1000 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से प्रशिक्षण प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

6.2 ऐसी इकाइयों को उत्तराखंड कौशल विकास मिशन तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पी0आई0ए0 के रूप में सूचीबद्ध और उत्तराखण्ड कौशल विकास से अनुमोदित पाठयक्रमों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

6.3 भुगतानित वृत्तिका की प्रतिपूर्ति हेतु इच्छुक पात्र इकाई प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात 45 दिन के भीतर अपना आवेदन पत्र एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नामित नोडल अभिकरण को ऑनलाइन विहित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे।

6.4 आवेदन पत्र के साथ कौशल विकास मिशन तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पी0आई0ए0 के रूप में सूचीबद्ध होने, प्रशिक्षण के अनुमोदित कार्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षार्थियों के नाम, पता व आई0डी0, प्रशिक्षार्थियों को भुगतानित वृत्तिका के साक्ष्य प्रमाण में प्रस्तुत करने होंगे।

6.5 जहां ऊपर खण्ड 6.3 में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र

जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति के विलम्ब पर समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

6.6 प्राधिकृत समिति के सदस्य सचिव अथवा नोडल अभिकरण के नोडल अधिकारी द्वारा जिला/राज्य प्राधिकृत समिति से प्रतिपूर्ति सहायता स्वीकृत होने के उपरान्त इसकी सूचना सम्बन्धित इकाई को दी जायेगी और इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित कर त्वरित रूप से संबंधित इकाई को मांग ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आर0टी0जी0एस0 द्वारा सीधे इकाई के बैंक खाते में जमा की जायेगी।

7. ई0टी0पी0 की स्थापना पर प्रतिपूर्ति सहायता:

7.1 ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु पात्र इकाईयों/परियोजनाओं को नीति के अधीन ई0टी0पी0 संयंत्र की स्थापना में किये गये पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 20 लाख/ रू. 50 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता निम्नानुसार देय होगी:-

i) बृहत उद्योग (श्रेणी-1)- ई0टी0पी0 संयंत्र की स्थापना में किये गये पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 20 लाख।

ii) लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स- ई0टी0पी0 संयंत्र की स्थापना में किये गये पूंजीगत व्यय का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 लाख।

7.2 केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अधीन समान लाभ प्राप्त करने वाली इकाई को इस नीति के अधीन यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

7.3 उपादान के लिए ई0टी0पी0 संयंत्र से सीधे जुड़े हुए अचल पूंजी निवेश को ही गणना में लिया जायेगा।

7.4 पात्र इकाईयां ई0टी0पी0 संयंत्र क सफलतापूर्वक अधिष्ठापन के पश्चात ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु उपादान का दावा कर सकेंगे।

7.5 ई0टी0पी0 की स्थापना पर प्रतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने के इच्छुक पात्र इकाईयां ई0टी0पी0 संयंत्र की स्थापना के पश्चात 45 दिन के अन्दर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के साथ तथ्यों की पुष्टि में शपथ पत्र, ई0टी0पी0 संयंत्र के अधिष्ठापन से सम्बन्धित बिल वाउचर, भुगतान के बैंक स्टेटमेंट, चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा दिये गये निवेश प्रमाण पत्र तथा ई0टी0पी0 संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

7.6 आवेदन पत्र ऑनलाइन नोडल अभिकरण के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऑनलाइन किये गये आवेदन सभी दस्तावेजों सहित manually भी प्रस्तुत करना होगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा और आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति को अग्रसारित करेगा।

7.7 जहां ऊपर खण्ड 7.5 में यथाउपबन्धित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है, वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य स्तरीय समिति, विलम्ब के समादान हो जाने पर मर्षित किया जा सकेगा।

7.8 संवीक्षा समिति द्वारा आवेदन के परीक्षण के उपरान्त नोडल अभिकरण संवीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर ओवदन को राज्य प्राधिकृत समिति/ राज्य स्तरीय समिति के सम्मुख विचार/निर्णय के लिए प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तरीय समिति से दावा स्वीकृत होने पर दावे की स्वीकृति की संसूचना नोडल अभिकरण द्वारा इकाई को ऑनलाइन दी जायेगी।

7.9 स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिए इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्याधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे इकाई के बैंक खाते में की जायेगी।

(7) संवितरित प्रोत्साहन सहायता की वसूली:

निम्नलिखित परिस्थितियों में इकाई को भुगतान किये गये वित्तीय प्रोत्साहनों की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी:–

(1) यदि इकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(2) इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू न रखा हो। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए महानिदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो अथवा नीति के क्रियान्वयन आदेश/परिचालन दिशा–निर्देशों के संगत नियमों का पालन न किया गया हो।

(8) अन्य

1. योजना के अन्तर्गत नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का निर्णय अन्तिम एवं इकाई के लिये बाध्यकारी होगा।
2. योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अधिकृत होंगे।
3. ब्याज उपादान से सम्बन्धित सभी अभिलेखों, प्रपत्रों इत्यादि के रख–रखाव एवं आडिट आदि का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/सिडकुल/उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड का होगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2151 / VII-3-19 / 04(01)–एम0एस0एम0ई0 / 2018, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9 महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
14 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
15 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।